प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 64/2026)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'व्हीकल टू एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा' पर भादूविप्रा परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 27 मई 2026 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 30.04.2026 को 'व्हीकल-टू- एवरीथिंग (V2X) संचार के लिए नियामक ढांचा' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 28.05.2026 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 11.06.2026 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के कुछ हितकारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमश: 04.06.2026 और 18.06.2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया हैं ।

3. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा, को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह -
(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा